राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग
2, जल पथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक – 4168-4200

जयपुर, दिनांक
21.1.10

सभी उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग

विषय– 24 जनवरी 2010 को "राष्ट्रीय बालिका दिवस" मनाए जाने के क्रम में।

भारत सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 24 जनवरी 2010 पूरे देश में "राष्ट्रीय बालिका दिवस" के रूप में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य कन्या भ्रुण हत्या, लिंगानुपात व बाल विवाह जैसी कुरीतियों के बारे में जन–जागृति जागृत करना है। यह दिवस आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, साथिनों, सहयोगिनियों के सहयोग से मनाया जाएगा।

इसी संदर्भ में दिनांक 24 जनवरी 2010 को आंगनबाडी केन्द्रों को केन्द्र बिन्दु मानते हुए प्रभात फेरियां निकाली जाये। ये प्रभात फेरियों संपूर्ण आंगनबाडी क्षेत्र में बालिकाओं के साथ होने वाले भेदभाव व उन पर अत्याचारों के विरूद्ध जन जागरण का कार्य करेंगी। प्रभात फेरियों के आयोजन के लिए निम्न प्रकार से कार्यवाही अपेक्षित होगी :–

1. दिनांक 24 जनवरी 2010 को प्रातः 7 बजे तक आंगनबाडी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, सहायिका एवं साथिन आदि सभी आंगनबाडी केन्द्र पर एकत्रित होगी। इससे पूर्व ये चारों महिलाऐं पूरे गांव में संपर्क कर महिलाओं और लडकियों को प्रभात फेरी में सम्मिलित होने के लिए तैयार करेंगी। ये सभी महिलाऐं, लडकियां दिनांक 24 जनवरी 2010 को प्रातः 7 बजे तक संबंधित आंगनबाडी केन्द्र पर उपस्थित होंगे।
2. आई.सी.डी.एस. पर्यवेक्षक, आंगनबाडी कार्यकर्ता, सहायिका, साथिन और ग्राम पंचायतों स्थानीय व्यक्तियों एवं स्कूलों से सम्पर्क कर अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं और लडकियों को इस प्रभात फेरी में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करेंगे।
3. दिनांक 24 जनवरी 2010 से पूर्व आंगनबाडी केन्द्र पर स्थानीय महिलाओं एवं लडकियों के सहयोग से बैनर्स तैयार किये जाएगें जिसमें विभिन्न प्रकार के संदेश (स्लोगन) होंगे। इन संदेशों पर महिलाओं के विरूद्ध विभिन्न प्रकार के शोषण, अत्याचार और हिंसा संबंधित नारे अंकित किये जाऐंगे।

   इनमें से कुछ नमूने के रूप में निम्न प्रकार से है :–

   (i) "भ्रूण हत्या पाप है भ्रूण हत्या करने वालों को सजा दिलाओ"
   (ii) "शिक्षा हर लडकी का अधिकार हैं हर लडकी को स्कूल भेंजो"
   (iii) "बालिकाओं के साथ भेदभाव असामाजिक कार्य है, इसे रोका जावे"
   (iv) "बालिकाओं का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है"
   (v) "बाल विवाह गैर–कानूनी हैं"
   (vi) "बाल विवाह बालिका के व्यक्तित्व विकास में बाधक है"

   ये कुछ नमूने है। ऐसे कई प्रकार के संदेश स्थानीय भाषा में बनाये जा सकते है।
4. बालिकाओं को घरेंलू हिंसा से संरक्षण की भी संपूर्ण जानकारी देनी चाहिए।
5. प्रभात फेरी में भाग लेने वाली महिलाऐं और लडकियां साथ–साथ नारे भी लगाती चलें।

6. स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों को भी इस प्रभात फैरी के साथ जोडा जाना चाहिए।
7. प्रभात फैरी दिनांक 24 जनवरी 2010 को ही आयोजित होगी लेकिन इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे वर्ष समय–समय पर आयोजित किये जाते रहेंगे। इसमें स्थानीय स्तर पर विचार गोष्ठीयां, महिला सम्मेलन आदि आयोजित किये जाऐंगे।
8. स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को भी प्रभात फेरी और सालभर चलने वाले कार्यक्रमों से जोडा जाना चाहिए।
9. सभी कार्यक्रम निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर वे इन कार्यक्रमों में अपना पूरा सहयोग देंगे।

दिनांक 24 जनवरी 2010 को आयोजित प्रभात फेरी की विस्तृत रिपोर्ट आयोजन के पश्चात मय 1–2 फोटोग्राफ भिजवाई जानी अपेक्षित है।

समय की कमी को देखते हुए यह उचित होगा कि जिला अधिकारी अपने स्तर पर सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों, प्रचेताओं और आईसीडीएस पर्यवेक्षकों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक निर्देश दें। इस हेतु जिला कलेक्टर एवं स्थानीय प्रशासन का सहयोग लिया जाना चाहिए।

शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग
राजस्थान, जयपुर

कमांक – 4201-4240 जयपुर, दिनांक 21.1.10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आकवश्य कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव,
2. निजी सचिव, माननीया मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
4. श्रीमती अर्चना अवस्थी, निदेशक, महिला एवं विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या 5–1/2010–DCD-III दिनांक 13.10.10 के क्रम में।
5. निदेशक, आईसीडीएस, जयपुर।
6. सभी जिला कलेक्टर। आग्रह है कि इस कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासन का पूरा सहयोग दिये जाने के साथ–साथ अपने स्तर से भी सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करें।
7. जिला पुलिस अधीक्षक (सभी)।
8. प्रोग्रामर, महिला एवं बाल विकास विभाग को वैब साईट पर डाले जाने हेतु (अपलोडिंग)।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राज. जयपुर।